स्मरण पत्र–प्रथम

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2221590, Email ID: stateinventorycell@gmail.com

F.No. F.37( )/NHM/IM/2017/ 8252-1 Date:– 6/3/17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिले, राजस्थान
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
....

विषयः– बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस के अन्तर्गत कार्यकारी निदेशक–ईपीएम को प्रस्तुत किए गए डेटा के प्रमाणीकरण बाबत्।

संदर्भः– I. पत्र क्रमांक 7602 दिनांक 20.02.2017

II. Clarifiction/Corrigendum/ Addenendium क्रमांक F.8( )RMSC/EPM;/M-3/15-16/NIB136/568, दिनांक 10.02.2016 तथा अनुबन्ध दिनांक 08.08.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको पूर्व में निर्देश दिया गया था कि ई–उपकरण सॉफ्टवेयर में बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस के अन्तर्गत राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला अस्पताल (वो भी अस्पताल शामिल है जो वर्ष 2015–16 में निदेशक–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत थे) तक के संस्थानों में 147 प्रकार के बायोमेडीकल उपकरणों के रिपेयर एवं मेंटेनेंस हेतु किर्लोस्कर टेक्नॉलोजी प्राइवेट लिमिटेड (केटीपीएल) को अनुबन्धित किया गया है। केटीपीएल द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार चिकित्सा संस्थानों पर उपलब्ध सभी उपकरणों की बारकोडींग की गई जिसकी सूची पत्र के साथ तथा ईमेल पर संलग्न हैं। साथ ही इस सूची को आप ई–उपकरण सॉफ्टवेयर से भी अपने संस्थान की केटीपीएल बारकोडेड इन्वेंट्री की सूची डाउनलोड कर सकते है। आप अपने संस्थानों की इन्वेंट्री का संलग्नित प्रारूप में प्रमाणीकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करे। प्रमाणित करते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान रखेः–

1. सूची में दर्ज जिन उपकरणों का बारकोडिंग का कार्य किया गया है, वे उपकरण संस्थानों में उपलब्ध हैं।
2. केटीपीएल बारकोडेड उपकरणों की AMC/CMC/Warranty के अन्तर्गत आने वाले (जिनकी AMC /CMC जारी है) उपकरणो की सूचना, सूची/सॉफ्टवेयर में दर्ज कर दी गई है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप 147 प्रकार के बायोमेडिकल इक्विपमेंटस की संलग्नित सूची/ई–उपकरण से डाउनलोड सूची को जाँच कर प्रमाणित किया जाए और जिन उपकरणों की AMC /CMC/Warranty जारी है एवं किसी प्रकार की त्रुटि की सूचना होने पर उसमें सुधार कर सूचना को तुरन्त उपलब्ध कराए एवं साथ ही ई–उपकरण में दर्ज कराए।

किसी प्रकार की त्रुटि ज्ञात होने पर पूर्व में प्रेषित पत्रांक 1173 दिनांक 19.05.2016 में दिए गए दिशा–निर्देश अनुसार उपकरणों की प्रविष्टि सही की जा सकती है। साथ ही दिए गए प्रारूप में संस्थान चिकित्सा अधिकारी प्रभारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को 3 कार्यदिवस में प्रस्तुत करे एवं edepmrmsc@gmail.com तथा stateinventorycell@gmail.com पर भी भिजवाना सुनिश्चित करे। इस कार्य में जिले में पदस्थापित केटीपीएल इंजीनियर का भी सहयोग प्राप्त कर सकते है।

निविदा की शर्तों के अनुसार इस कार्य का वित्तीय प्रभाव हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस कार्य को ध्यान से पूर्ण करे, यदि इसमें कोई कमी या विसंगति पायी जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि इस कार्य को शीघ्रता एवं प्राथमिकता के आधार पर संपादित करे ताकि आपके जिले में बायोमेडिकल उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।

(ओम कसेरा)
प्रबंध निदेशक
आरएमएससी

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी., जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक–जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
4. निजी सहायक, कार्यकारी अधिकारी (ई.पी.एम.), आर.एम.एस.सी. जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त संभाग, राजस्थान समस्त संस्थानों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर कार्य को तय समय सीमा में होना सुनिश्चित करेंगे। ज़ोनल बायोमेडिकल इंजीनियर इस कार्य की प्रगति से प्रतिदिन संयुक्त निदेशक (ज़ोन) को अवगत कराएंगे।
6. एजीएम आई.टी., आरएमएससी।
7. जिला कार्यक्रम प्रबंधक / डेटा मॉनिटरिंग एवं इवेल्यूएशन अधिकारी, समस्त जिलें, राजस्थान।
8. हैल्थ मैनेजर, जिला अस्पताल, समस्त राजस्थान।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केटीपीएल।
10. कम्प्यूटर /सर्वर रूम को वास्ते ईमेल।
11. रक्षित पत्रावली

राज्य नोडल अधिकारी
इन्वेंट्री एवं एससीएम

कार्यालय ....

प्रमाण—पत्र

1. सूची में दर्ज जिन उपकरणों का बारकोडिंग का कार्य किया गया है, वे उपकरण संस्थानों में उपलब्ध हैं।
2. केटीपीएल बारकोडेड उपकरणों की AMC/CMC/Warranty के अन्तर्गत आने वाले (जिनकी AMC /CMC/Warranty जारी है) उपकरणो की सूचना, सूची / सॉफ्टवेयर में दर्ज कर दी गई है।
3. वे 147 प्रकार के बायोमेडिकल उपकरण जिनकी बारकोडिंग की गई है लेकिन संस्था पर उपलब्ध नहीं है एवं जिनकी AMC /CMC जारी है और <u>सूची / ई—उपकरण</u> में दर्ज नहीं है, उनकी सूचना प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्न न होने की दशा मे इस बिन्दु को काट दें।)

हस्ताक्षर

नाम –

पद सील –

दिनांकः–

स्मरण पत्र–प्रथम

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2221590, Email ID: stateinventorycell@gmail.com

F.No. F.37( )/NHM/IM/2017/8252-2 Date: 06-03-2017

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

....

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (सैटेलाइट हॉस्पिटल)

अलवर, भरतपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर-2, झुन्झुनु, जोधपुर, उदयपुर।

विषयः– बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस के अन्तर्गत कार्यकारी निदेशक–ईपीएम को प्रस्तुत किए गए डेटा के प्रमाणीकरण बाबत्।

संदर्भः– I. पत्र क्रमांक 7602 दिनांक 20.02.2017

II. Clarifiction/Corrigendum/ Addenendium क्रमांक F.8( )RMSC/EPM;/M-3/15-16/NIB136/568, दिनांक 10.02.2016 तथा अनुबन्ध दिनांक 08.08.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको पूर्व में निर्देश दिया गया था कि ई–उपकरण सॉफ्टवेयर में बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस के अन्तर्गत राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला अस्पताल (वो भी अस्पताल शामिल है जो वर्ष 2015–16 में निदेशक–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत थे) तक के संस्थानों में 147 प्रकार के बायोमेडीकल उपकरणों के रिपेयर एवं मेंटेनेंस हेतु किर्लोस्कर टेक्नॉलोजी प्राइवेट लिमिटेड (केटीपीएल) को अनुबन्धित किया गया है। केटीपीएल द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार चिकित्सा संस्थानों पर उपलब्ध सभी उपकरणों की बारकोडींग की गई जिसकी सूची पत्र के साथ तथा ईमेल पर संलग्न हैं। साथ ही इस सूची को आप ई–उपकरण सॉफ्टवेयर से भी अपने संस्थान की केटीपीएल बारकोडेड इन्वेंट्री की सूची डाउनलोड कर सकते है। आप अपने संस्थानों की इन्वेंट्री का संलग्नित प्रारूप में प्रमाणीकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करे। प्रमाणित करते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान रखेः–

1. सूची में दर्ज जिन उपकरणों का बारकोडिंग का कार्य किया गया है, वे उपकरण संस्थानों में उपलब्ध हैं।
2. केटीपीएल बारकोडेड उपकरणों की AMC/CMC/Warranty के अन्तर्गत आने वाले (जिनकी AMC /CMC जारी है) उपकरणो की सूचना, सूची/सॉफ्टवेयर में दर्ज कर दी गई है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप 147 प्रकार के बायोमेडिकल इक्विपमेंटस की संलग्नित सूची/ई–उपकरण से डाउनलोड सूची को जॉच कर प्रमाणित किया जाए और जिन उपकरणों की AMC /CMC/Warranty जारी है एवं किसी प्रकार की त्रुटि की सूचना होने पर उसमें सुधार कर सूचना को तुरन्त उपलब्ध कराए एवं साथ ही ई–उपकरण में दर्ज कराए।

किसी प्रकार की त्रुटि ज्ञात होने पर पूर्व में प्रेषित पत्रांक 1173 दिनांक 19.05.2016 में दिए गए दिशा–निर्देश अनुसार उपकरणों की प्रविष्टि सही की जा सकती है। साथ ही दिए गए प्रारूप में संस्थान चिकित्सा अधिकारी प्रभारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को 3 कार्यदिवस में प्रस्तुत करे एवं edepmrmsc@gmail.com तथा stateinventorycell@gmail.com पर भी भिजवाना सुनिश्चित करे। इस कार्य में जिले में पदस्थापित केटीपीएल इंजीनियर का भी सहयोग प्राप्त कर सकते है।

निविदा की शर्तों के अनुसार इस कार्य का वित्तीय प्रभाव हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस कार्य को ध्यान से पूर्ण करे, यदि इसमें कोई कमी या विसंगति पायी जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि इस कार्य को शीघ्रता एवं प्राथमिकता के आधार पर संपादित करे ताकि आपके जिले में बायोमेडिकल उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।

(ओम कसेरा)
प्रबंध निदेशक
आरएमएससी

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी., जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक–जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
4. निजी सहायक, कार्यकारी अधिकारी (ई.पी.एम.), आर.एम.एस.सी. जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त संभाग, राजस्थान समस्त संस्थानों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर कार्य को तय समय सीमा में होना सुनिश्चित करेंगे। ज़ोनल बायोमेडिकल इंजीनियर इस कार्य की प्रगति से प्रतिदिन संयुक्त निदेशक (ज़ोन) को अवगत कराएंगे।
6. एजीएम आई.टी., आरएमएससी।
7. जिला कार्यक्रम प्रबंधक / डेटा मॉनिटरिंग एवं इवेल्यूएशन अधिकारी, समस्त जिलें, राजस्थान।
8. हैल्थ मैनेजर, जिला अस्पताल, समस्त राजस्थान।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केटीपीएल।
10. कम्प्यूटर /सर्वर रूम को वास्ते ईमेल।
11. रक्षित पत्रावली

राज्य नोडल अधिकारी
इन्वेंट्री एवं एससीएम

कार्यालय ....

प्रमाण–पत्र

1. सूची में दर्ज जिन उपकरणों का बारकोडिंग का कार्य किया गया है, वे उपकरण संस्थानों में उपलब्ध हैं।
2. केटीपीएल बारकोडेड उपकरणों की AMC/CMC/Warranty के अन्तर्गत आने वाले (जिनकी AMC /CMC/Warranty जारी है) उपकरणो की सूचना, सूची/सॉफ्टवेयर में दर्ज कर दी गई है।
3. वे 147 प्रकार के बायोमेडिकल उपकरण जिनकी बारकोडिंग की गई है लेकिन संस्था पर उपलब्ध नहीं है एवं जिनकी AMC /CMC जारी है और सूची/ई–उपकरण में दर्ज नहीं है, उनकी सूचना प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्न न होने की दशा में इस बिन्दु को काट दें।)

हस्ताक्षर
नाम –
पद सील –
दिनांकः–